

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में ग्राम: कुमरांगखुर्द थाना: टंडवा, थाना सं: 51, जिला :- चतरा, (झारखण्ड) के भूमि जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO संख्या. 1381 दिनांक. 10.5.2003 के तहत रैयती भूमि के वृक्षों की मुआवजा प्रस्ताव की प्रक्रिया की गई है जिसका विवरण निम्नवत है।


अधिसूचना सं.	भूमि का प्रकार	सत्यापित भूस्वामी	खाता सं.	प्लॉट सं.	सत्यापित रकवा (एकड़ में)	सत्यापित भूमि पर वृक्षों संख्या	खतियानी रैयत का नाम (खतियान के अनुसार)
1381 दिनांक 10.5.2003	रैयती	सुखदेव साव पिता छेदी साव	3	6	0.13	61	काशी महतो पिता गणेश महतो
		यदुनन्दन साव पिता छेदी साव	3	6	0.105	20	
		रघुवीर साव पिता छेदी साव	3	6	0.14	21	
		रेवा साव पिता चान्दो साव	3	6	0.34	29	
		मन्नु साव पिता चान्दो साव	3	6	0.36	21	
		शंभू साव पिता नान्दो साव	3	6	0.01	10	
		देवनारायण साव पिता नान्दो साव	3	6	0.03	17	
		तेजनारायण साव पिता नान्दो साव	3	6	0.03	12	
		छेदी साव पिता काशी साव, शंभू साव एवं अन्य पिता नान्दो साव एवं रेवा साव एवं अन्य पिता चान्दो साव	3	6	0.87	85	
		कुल			2.015	276	


अगर उक्त वृक्षों की मुआवजा प्रस्ताव तथा भूमि के सत्यापित भूस्वामी पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/वेबसाइट

http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में परियोजना पदाधिकारी कार्यालय आम्प्रपाली परियोजना, महाप्रबंधक कार्यालय आम्प्रपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची किसी के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कुमरांगखुर्द, थाना सं: 51; जिला :- टंडवा, (रैयती), खाता सं. 3 के अधीन प्लॉट सं. 6, कुल सत्यापित रकवा 2.015 एकड़, (रैयती) खाता जो क्रमशः सुखदेव साव पिता छेदी साव, यदुनन्दन साव पिता छेदी साव, रघुवीर साव पिता छेदी साव, रेवा साव पिता चान्दो साव, मन्नु साव पिता चान्दो साव, शंभू साव पिता नान्दो साव, देवनारायण साव पिता नान्दो साव, तेजनारायण साव पिता नान्दो साव एवं छेदी साव पिता काशी साव, शंभू साव एवं अन्य पिता नान्दो साव एवं रेवा साव एवं अन्य पिता चान्दो साव जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि में वृक्षों के -मुआवजा प्रस्ताव तथा भूमि का सत्यापित भूस्वामी पर किसी भी व्यक्ति का कोई भी आपत्ति नहीं है।


(sd /-)


22/09/2022


22/09/22

मंगल राम
22-9-2022

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)
सी.सी.एल, राँची


22/09/2022